प्राक्कथन

मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष हेतु इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में सामान्य तथा सामाजिक सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, संघ सरकार की इंदिरा आवास योजना (इं.आ.यो.) के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण वह है जो अप्रैल 2008 से मार्च 2013 की अवधि हेतु नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए थे।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई है।